

## प्रेस वज़ाफ़ि

### कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 09-05-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीमा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), श्री प्रणय सन्हा एवं कर्मचारी राज्य - बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक ,सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स रॉयल इंटरप्राइजेज प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बीमत व्यक्ति श्री सुनील पासवान जो एन.टी.पी.सी. प्लांट, कहलगाँव में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पद पर कार्यरत थे उनकी आश्रता पत्नी- यशोदा देवी, को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रत हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. सुनील पासवान की मृत्यु दिनांक 18-05-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रतों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया । पेंशन के रूप में 245.40 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु. 7623/- आश्रतों को मलेगा । दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग रु. 175329-/- रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रत पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक

